

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला बस्तर-जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/क/रीडर/2020


जगदलपुर, दिनांक 31/07/2020

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

- 1/ मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4X4 फिट से अधिक न हो।
- 2/ मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15X15 फिट से अधिक न हो।
- 3/ पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह हो।
- 4/ पंडाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।
- 5/ मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे।
- 6/ किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।
- 7/ मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नम्बर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
- 8/ मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
- 9/ मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा, ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।
- 10/ मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्कनिंग ऑक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्कनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
- 11/ व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा।

अपर कलेक्टर
जिला बस्तर

- 12/ यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संकमित हो जाता है तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा।
- 13/ कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
- 14/ मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
- 15/ मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
- 16/ मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
- 17/ मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी।
- 18/ मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
- 19/ मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
- 20/ मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 21/ मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी।
- 22/ विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय पर पालन करना होगा।
- 23/ विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसार वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- 24/ सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।
- 25/ उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी।


अपर कलेक्टर
जिला बस्तर

26/ इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिजीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर
जिला-बस्तर

पृ0क्रमांक/क/रीडर/2020
प्रतिलिपि:-

जगदलपुर, दिनांक 31/07/2020

1. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-बस्तर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अतिरिक्त पुलिस, अधीक्षक शहर/यातायात, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व थाना प्रभारी, जिला-बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उप संचालक, जन सम्पर्क, जगदलपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर
जिला-बस्तर